न्यायालयः— आसिफ अहमद अब्बासी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील चंदेरी चन्देरी जिला—अशोकनगर म0प्र0

<u>दांडिक प्रकरण क-344/06</u> <u>संस्थित दिनांक- 10.07.2006</u>

हवीव अली पुत्र सरदार अली जाति मुसलमान, निवासी मैदान गली चंदेरी, जिला अशोकनगर म0प्र0फौत वारिसान

- 1. कमरून निशा पत्नी हबीव अली उम्र 66 साल,
- 2. मुबारिक अली पुत्र हबीव अली उम्र 41 साल,
- अंसार अली पुत्र हबीव अली उम्र 35 साल,

.....परिवादी

विरूद्ध

- 1. शरीफ खां पुत्र बसीर खां जाति मुसलमान उम्र 32 साल,
- 2. जहीर खां पुत्र बसीर खां जाति मुसलमान उम्र 40 साल,
- 3. मुजम्मिल पुत्री बसीर खां जाति मुसलमान उम्र 60 साल,
- 4. अनवरी उर्फ नस्सों पत्नी बसीर खां जाति मुसलमान उम्र 80 साल
- बसीर खां पुत्र नामालूम जाति मुसलमान उम्र 85 साल,
- 6. सायरा पुत्री बशीर जाति मुसलमान उम्र 50 साल,
- 7. समीर पुत्र बसीर खां जाति मुसलमान उम्र 46 सालफरार समस्त निवासीगण इमामबाडा पुरानी शिवपुरी, जिला शिवपुरी म०प्र०

.....अभियुक्तगण

—: <u>निर्णय</u> :— <u>(आज दिनांक 23.09.2017 को घोषित)</u>

01—अभियुक्तगण के विरुद्ध भा0द0वि0 की धारा—406 एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा—4 एवं 6 (2) के तहत् दण्डनीय अपराध के यह आरोप है कि उन्होंने दिनांक—11.12.04 को परिवादी की पुत्री नसीम बानो के विवाह में दान दहेज एवं स्त्रीधन के रूप में न्यस्त किये गये, सामान का आपराधिक न्यास भंग कर परिवादी की पुत्री नसीम बानों की शादी के पश्चात् प्रत्यक्ष या परोक्षतः रूप से नसीम बानों के माता—पिता से दहेज की मांग की एवं परिवादी की पुत्री नसीम बानों की शादी के उपरांत उसकी प्राकृतिक कारणों के अलावा मृत्यु होने के पश्चात् भी विहित समयाविध में उसके माता—पिता को उसकी शादी में दहेज

के रूप में प्राप्त सामान को वापस नहीं किया।

- 02—प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि परिवादी की पुत्री नसीम बानों का विवाह अभियुक्त क्रमांक—1 शरीफ खां से दिनांक—11.12.2004 को चंदेरी में हुआ था तथा दिनांक—02.05.2006 को परिवादी की पुत्री ने आत्महत्या कर ली है।
- 03-परिवादी संक्षेप में इस प्रकार है कि परिवादी की पुत्री नसीम बानों का विवाह दिनांक-11.12.04 को अभियुक्त क्रमांक-1 शरीफ खां के साथ चंदेरी में हुआ था। शेष आरोपीगण उसी के परिवार के सदस्य हैं। आरोपीगण नसीम बानों को दहेज में मोटरसाईकिल तथा फिज की मांग को लेकर प्रताडित करते थे और उसके साथ मारपीट करते थे, जब नसीम बानों यह सहन नही कर सकी तो उसने दिनांक-02.05.2006 को जहरीली वस्तु खाकर आत्महत्या कर ली, जिसके पश्चात् अभियुक्त कमांक-1 लगायत 6 के विरुद्ध शिवपुरी पुलिस के द्वारा भादवि की धारा—304 बी / 34 का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। आरोपीगण सम्मिलित परिवार के सदस्य है। नसीम के विवाह में जो दान दहेज दिया गया था वो स्त्री धन की परिभाषा में आता है जिसकी सूची परिवाद के संलग्न है। उक्त सामान आरोपीगण के कब्जें में है जिसका वह उपयोग व उपभोग कर रहे है। जिसे न तो परिवादी की पुत्री को वापस किया और न ही उसकी मृत्यु के पश्चात् उक्त सामान परिवादी को वापस किया। परिवादी ने अभियुक्तगण से जब सामान वापस मांगा तो उन्होने साफ इंकार कर दिया। जिसके कारण यह परिवाद दहेज प्रतिषेद अधिनियम की धारा-4 एवं 6 व भा0द0वि0 की धारा-406 / 34 के अंतर्गत कार्यवाही किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।
- 04—अभियुक्तगण को उनके विरूद्ध लगाये गये दण्डनीय अपराध को आरोप पढ कर सुनाये एवं समझाये जाने पर उन्होंने अपराध करना अस्वीकार किया तथा प्रकरण में विचारण की मांग की। अभियुक्तगण का विचारण किया जाने पर परीक्षण अंतर्गत धारा—313 द0प्र0सं0 में उनका कहना है कि वह निर्दोष है उन्हें झूठा फंसाया गया है।

05-प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :--

1. क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 11.12.04 को परिवादी की पुत्री नसीम बानो के विवाह के उपरांत प्रत्यक्ष या परोक्षतः नसीम बानो के

	माता-पिता से दहेज की मांग की ?
2.	क्या अभियुक्तगण ने में परिवादी की पुत्री नसीम बानों को दान दहेज एवं स्त्रीधन के रूप में न्यस्त किये गये सामान का आपराधिक न्यास भंग किया ?
3.	क्या अभियुक्तगण ने एवं परिवादी की पुत्री नसीम बानों की शादी के उपरांत उसकी प्राकृतिक कारणों के अलावा मृत्यु होने के पश्चात् भी विहित समयाविध में उसके माता—पिता को उसकी शादी में दहेज के रूप में प्राप्त सामान को वापस नहीं किया ?
4.	दोष सिद्धि अथवा दोष मुक्ति ?

_:: सकारण निष्कर्ष ::-

विचारणीय प्रश्न कमांक 1 का विवेचन एवं निष्कर्ष:-

- 06—परिवादी पक्ष की ओर से प्रकरण के विचारण के दौरान परिवादी हबीब अली के फौत होने जाने से के पश्चात् अपने समर्थन में परिवादी की पत्नी कमरून निशा (प0सा0—1), पुत्र मुबारिक अली (प0सा0—2), मुनीर अली (प0सा0—3), परिवादी के भाई भूरे अली (प0सा0—4) सिहत अनवर अली (प0सा0—5) के कथन न्यायालय में कराये गये।
- 07—कमरून निशा (प0सा0—1) जो कि परिवादी की पत्नी है एवं नसीम बानों की मां है, ने अपने मुख्यपरीक्षण में दिये गये कथनो में इस संबंध में कोई कथन नहीं दिये कि वास्तव में अभियुक्तगण उसकी पुत्री नसीम बानों से दहेज के रूप में किसी सामान की मांग करते थे। इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में हालांकि इस बात का तो खण्डन किया है कि अभियुक्त शरीफ ने उससे दहेज की मांग नहीं की, परन्तु उक्त मांग कब किस दिनांक को व क्या मांग की गई, यह इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में कहीं स्पष्ट नहीं किया है, बल्कि किये गये उपरोक्त खण्डन के विपरीत यह साक्षी अपने प्रतिपरीक्षण में कण्डिका—7 में यह स्वीकार किया है कि लडकी शादी के पांच दिन बाद जब घर पर आई थी, तो उसने उसे दहेज मामले के बारे में कुछ नहीं बताया था। इस साक्षी ने यह भी

स्वीकार किया है कि जब लडकी को ससुर लेने आये थे तब भी ससुर हंसी खुशी लडकी को विदा करके ले गये थे, उस समय भी गाडी और फ्रिज की कोई मांग नहीं की।

- 08— कमरून निशा (प0सा0—1) का अपने आरोप पश्चात् प्रतिपरीक्षण में किण्डिका—2 में यह स्पष्ट कथन दिये है कि शादी के 14 महीने बाद उसकी लड़की मर गई थीं और इन 14 महीनों में वह 3—4 बार मायके आई थी, तो उसने दहेज के संबंध में कोई बात नहीं बताई थी। अतः कमरून निशा (प0सा0—1) जो कि नसीम बानों की मां है, के स्वंय के द्वारा दिये गये कथनों के अनुसार नसीम बानों ने कभी भी इस संबंध में उससे कोई बात नहीं की, कि आरोपीगण के द्वारा दहेज की कोई मांग उससे की जा रही है।
- 09—मुनीर अली (प0सा0—3) एवं भूरे अली (प0सा0—4) ने अपने मुख्यपरीक्षण में यह कथन अवश्य दिये है कि नसीम को उसके ससुराल वाले परेशान करते थे, परन्तु इन साक्षियों ने भी अपने मुख्यपरीक्षण में यह स्पष्ट नही किया है कि अभियुक्तगण नसीम को क्या परेशानी देते थे और कब—कब नसीम को ससुराल वालों ने परेशान किया, मुनीर अली (प0सा0—3) अपने प्रतिपरीक्षण में स्वयं यह स्वीकार करता है कि उसके सामने आरोपीगण ने विदाई में कभी दहेज नही मांगा और न ही विदाई के बाद दहेज मांगा था, बल्कि वह शादी के बाद कभी नसीम बानों के ससुराल तक नही गया, इसी प्रकार भूरे अली (प0सा0—4) भी अपने प्रतिपरीक्षण में मात्र एक बार नसीम के ससुराल जाना बताता है तथा एक बार ही नसीम बानों से बातचीत होना बताता है, जिसमें नसीम बानों ने उसे बताया था कि उससे मोटरसाइकिल और फिज मांग रहे हैं, परन्तु इस साक्षी ने यह स्पष्ट नही किया है कि नसीम बानों ने उसे किस आरोपीगण के द्वारा, किस दिनांक को, फिज और मोटरसाईकिल की मांग करना बताया था तथा स्वयं उसे नसीम ने कब और किस दिनांक को यह जानकारी दी थी।
 - 10—भूरे अली (प0सा0—4) ने अपने उपरोक्त कथनों को हालांकि अपने आरोप पश्चात् प्रतिपरीक्षण की कण्डिका—2 में स्पष्ट करने का प्रयास किया है, जिसमें इस साक्षी का कहना है कि नसीम ने उसे इस संबंध में व्यक्तिगण ने रूप से नहीं बताया था बल्कि फोन पर बताया था, परन्तु फोन कब और किस दिनांक को आया था तथा नसीम ने फोन किस नंबर से किया था यह वह बताने की स्थिति में नहीं है। इस साक्षी का कहना है कि उक्त फोन उसके मोबाईल पर आया था, जो 10 से 12 साल पहले की बात होना बताता है, परन्तु इस साक्षी

का स्वयं कहना है कि उसके मोबाईल 6-7 साल पहले लिया था।

- 11—अनवर अली (प0सा0—5) अपने मुख्यपरीक्षण में मात्र अभियुक्त शरीफ खां, के संबंध में यह कहता है कि अभियुक्त शरीफ खां, नसीम बानों से मोटरसाईकिल और फिज की मांग करता था और इसी कारण से उसके साथ मारपीट भी करता था, परन्तु यह जानकारी इस साक्षी को किस प्रकार है तथा किसके द्वारा यह जानकारी किस दिनांक को दी गई, यह कहीं भी इस साक्षी ने अपने मुख्यपरीक्षण में स्पष्ट नहीं किया है। अनवर अली (प0सा0—5) अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 4 में यह कहता है कि नसीम उसके यहां आती जाती रहती थीं तथा मृत्यु होने से पहले भी गांव में आई थी, परन्तु नसीम ने उसे कब यह जानकारी दी यह कहीं भी स्पष्ट नहीं किया।
- 12— भूरे अली (प0सा0—4) व अनवर अली (प0सा0—5) के द्वारा दिये गये उपरोक्त कथन सर्वप्रथम तो स्पष्ट नहीं है कि किस आरोपीगण ने कब नसीम बानो से शादी के बाद मोटरसाईकिल और फ़िज की मांग की थी तथा इस मांग के संबंध में नसीम बानों ने उन्हें शादी के कितने दिन बाद कहा पर किस समय इस संबंध में जानकारी दी थी। भूरे अली (प0सा0-4) व अनवर अली (प0सा0-5) के द्वारा एक सामान्य के कथन देकर यह बताने का प्रयास किया गया है कि नसीम बानो से दहेज के रूप में मोटरसाईकिल और फिज की मांग की जा रही थी परन्तु जो व्यक्ति शादी के बाद नसीम बानो के ससुराल ही न गया हो अथवा नियमित संपर्क न रहा हो, वहां नसीम बानों से यदि दहेज के रूप में मोटरसाईकिल और फ्रिज की कोई मांग की भी जा रही थी, तो वह इसकी जानकारी अपनी मां को न देकर इन दोनों व्यक्तियों को देगी, इस पर विश्वास करने का कोई आधार अभिलेख पर नहीं है और न इस संबंध में इन साक्षियों की साक्ष्य विश्वसनीय है। एक सामान्य कथन देकर कि आरोपीगण दहेज के रूप में मोटरसाईकिल और फिज की मांग कर रहे थे. ऐसा नसीम बानों ने उन्हें बताया था, के आधार पर यह निष्कर्ष नही निकाला जा सकता है कि वास्तविकता में किस आरोपी ने नसीम बानों ने किस दिनांक को दहेज के मोटरसाईकिल और फिज की मांग की थी जबकि इस संबंध में स्वयं नसीम बानों की मां कमरून निशा (प0सा0-1) का अपने संपूर्ण न्यायालीन कथनों में आरोपीगण के विरूद्ध कोई साक्ष्य नहीं दी गई।

13—यह उल्लेखनीय है कि कमरून निशा (प0सा0—1) जो कि नसीम बानो की मां हैं,

जिसका कहीं भी यह कहना नहीं है कि उसके लड़की ने उसे शादी के बाद या मरने से पहले कभी भी आरोपीगण के द्वारा दहेज की मांग के रूप में फ़िज और मोटरसाईकिल की मांग करने के बारे में बताया था। कमरून निशा (प0सा0-1), नसीम बानों की मां होने के कारण सबसे निकट संबंधी हैं, और एक लड़की को यदि कोई परेशानी होती है तो वह निश्चित रूप से सर्वप्रथम अपनी मां को ही बताती है, परन्तु मां को दहेज की मांग के संबंध में न बता कर नसीम बानों भूरे अली (प0सा0-4), अनवर अली (प0सा0-5) को मोटरसाईकिल और फिज मांगे किये जाने की जानकारी देगी, इस पर कोई सामान्य प्रज्ञावान व्यक्ति विश्वास नहीं कर सकता है।

- 14—परिवादी पक्ष की ओर से अपने समर्थन में परिवादी के पुत्र मुबारिक अली (प0सा0—2) के कथन न्यायालय में कराये गये हैं, जिसने अपने मुख्यपरीक्षण की कण्डिका—1 में व्यक्त किया है कि सगीर तथा उसके परिवार वाले गाड़ी और फिज की मांग शादी के बाद करते थे, जिसके देने के लिये उसने दो माह का समय मांगा था। मुबारिक अली (प0सा0—2) के द्वारा दिये गये उपरोक्त कथन भी इस संबंध में स्पष्ट नहीं है कि शादी के कितने समय के बाद किस आरोपीगण ने उससे गाड़ी और फिज की मांग की थी।
- 15—मुबारिक अली (प0सा0—2) अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका—5 में एक ओर यह कहता है कि शादी के समय बसीर खां, नस्सो व शरीफ ने कूलर और मोटरसाईकिल और फिज की मांग की थी, जिसे देने के लिये उसने दो माह का समय मांगा था, परन्तु यहीं साक्षी अपने आरोप पश्चात् प्रतिपरीक्षण की कण्डिका—1 में यह स्वीकार करता है कि शादी के बाद जब वह अपनी बहन को लिवाने के लिये तीन दिन बाद गया था, तो उस समय दहेज की कोई मांग नहीं की गई थी। मुबारिक अली (प0सा0—2) अपने आरोप पश्चात् प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 3 में जहींर, शरीफ व उनके मां—बाप के द्वारा गांडी और फिज की मांग की जाना बताता है, परन्तु मांग किस दिनांक को की थी, यह कहीं भी इस साक्षी ने स्पष्ट नहीं किया है।
- 16—मुबारिक अली (प0सा0—2) एक ओर शादी के समय मोटरसाईकिल और फ्रिज की मांग की जाना बताता है, जबिक इसी साक्षी का अपने प्रतिपरीक्षण में कहना है कि उससे आमने सामने कभी भी दहेज की कोई मांग नही की गई थी बिल्क कि जब शादी के तीन दिन बाद बहन के ससुराल लेने गया था, तब भी कोई मांग न किया जाना बताता है, अतः ऐसे में यदि आमने सामने कोई मांग नही

की गई तो शादी में मांग किये जाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। मुबारिक अली (प0सा0-2) उपरोक्त कथनों से स्पष्ट है कि शादी के समय आरोपीगण में से किसी ने कभी दहेज की कोई मांग नहीं की गई। इस बात की पुष्टि परिवादी साक्षी मुनीर (प0सा0-3) ने आरोप पश्चात् प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 2 में स्वीकार किया है कि आरोपीगण ने उसके सामने विदाई के समय दहेज की मांग नहीं कि और न ही विदाई के बाद उसके सामने दहेज की कोई मांग की गई।

- 17—अतः अभिलेख पर आई उपरोक्त साक्ष्य से स्पष्ट होता है कि जिस समय मुबारिक अली (प0सा0—2) की बहन की शादी हुई थी तथा जबिक तीन दिन बाद वह अपनी बहन को लेने के लिये गया था उस समय तक दहेज की कोई मांग किसी भी आरोपीगण ने नहीं की थी, जहां तक मुबारिक अली (प0सा0—2) का अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 3 में यह कहना है कि उससे फोन पर दहेज की मांग की गई थीं तो इस संबंध में भी इस साक्षी के कथन स्पष्ट नहीं है कि किस दिनांक को उसके पास फोन आया था तथा किस सन् में उससे किसने फोन पर दहेज की मांग की थी। मुबारिक अली (प0सा0—2) अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 5 में यह कहता है कि शरीफ कबाड़ी के घर पर टेलीफोन आया था, परन्तु टेलीफोन कब आया था और किसने बात की थीं यह कहीं भी इस साक्षी ने स्पष्ट नहीं किया है।
- 18— मुबारिक अली (प0सा0—2) के द्वारा न्यायालय में दिये गये कथन अपने आप में विरोधाभासी है, क्योंकि मुख्यपरीक्षण में वह शादी के बाद गाडी और फिज की मांग सगीर तथा उसके परिवार वालो के द्वारा किया जाना बताता है। वहीं प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 5 में मात्र वसीर खां, नस्सों व शरीफ के द्वारा फिज और मोटरसाईकिल की मांग किया जाना बताता है, वहीं आरोप पश्चात् प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 3 में इस साक्षी का कहना है कि जहींर और शरीफ और दोनों मां बाप से उससे गाडी और फिज की मांग की थी। इनके अलावा किसी ने कोई मांग नहीं की। फिज और गाडी की मांग किन किन अभियुक्तगण ने की थीं, इस संबंध में साक्षी के कथनों में विरोधाभास की स्थिति है। निश्चित रूप से यदि आमने सामने इस साक्षी से दहेज की मांग नहीं की गई तो फोन पर एक साथ उपरोक्त व्यक्तियों के द्वारा मांग किया जाना संभव नहीं है। फोन पर किसने व कब मांग की थीं, यह कहीं भी मुबारिक अली ने स्पष्ट नहीं किया।
- 19— मुबारिक अली (प0सा0—2) से आरोपीगण में से किसी ने दहेज की कोई मांग

की थी ऐसा कहीं भी उसकी मां कमरून निशा (प0सा0—1) का अपने न्यायालीन कथनों में कहना नही है। बल्कि कमरून निशा (प0सा0—1) के अनुसार उसकी लड़की ने उसे इस संबंध में कभी कुछ नहीं बताया। अतः यदि परिवार की लड़की से ससुराल वाले दहेज की मांग कर रहे है तो उनमें से केवल भाई को जानकारी है, और मां को कोई जानकारी न हो इस पर विश्वास करना किन है। मुबारिक अली (प0सा0—2) के कथन इस संबंध में स्पष्ट नहीं है कि कब किस दिनांक को किस अभियुक्त ने उससे कहां पर, फ़िज और मोटरसाईकिल की मांग की थी, जिससे उपरोक्त संबंध में इस साक्षी की साक्ष्य विश्वसनीय प्रतीत नहीं होती है।

20— मुबारिक अली (प0सा0—2) का स्वयं अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 6 में कहना है कि शादी में जो भी सामान मोटरसाईकिल और फ़िज को छोड़कर जो भी सामान दिया था वो मांग के दिया था क्योंकि वो शादी में दिया ही जाता है, जिससे स्पष्ट है कि शादी के समय जो भी सामान नसीम बानों को दिया गया था वह बिना मांग के दिया गया था तथा अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर इस आशय की कोई विश्वसनीय साक्ष्य उपलब्ध नही है कि अभियुक्तगण या उनमें से किसी ने शादी के बाद नसीम बानों से या उसके परिवार के किसी सदस्य से दहेज के रूप में फ़िज और मोटरसाईकिल की मांग की थी, जिससे यह प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्तगण ने परिवादी की पुत्री नसीम बानों की शादी के पश्चात् प्रत्यक्ष या परोक्षतः नसीम बानों के माता—पिता से दहेज की मांग की थीं।

विचारणीय प्रश्न कमांक 2 व 3 का विवेचन एवं निष्कर्ष:-

21—परिवाद पत्र के अनुसार परिवादी की पुत्री नसीम बानों का विवाह शरीफ खां से दिनांक 11.12.04 को हुआ था, जिसके बाद दिनांक 02.05.2006 को नसीम बानों ने आत्महत्या कर ली थीं, उक्त तथ्य को बचाव पक्ष की ओर से भी कोई चुनौती नही दी गई, जिससे यह प्रकरण में यह स्वीकृत है कि दिनांक 11.12.04 को नसीम बानों व शरीफ खां की शादी के बाद दिनांक 02.05.06 को नसीम बानों के आत्महत्या कर लेने से मृत्यु हो गई। परिवाद पत्र में इस बात का भी उल्लेख है कि नसीम बानों की शादी में सूची अनुसार दान दहेज दिया गया था, जिसका आरोपीगण उपयोग व उपभोग कर रहे हैं तथा उक्त सामान परिवादी की पुत्री को वापस नहीं किया था और न ही मृत्यु के पश्चात् परिवादी को उक्त सामान आरोपीगण वापस दे रहे हैं और मांगने पर सामान वापस देने से इन्कार कर रहे हैं।

- 22—प्रकरण में परिवादी पक्ष की ओर से अपने समर्थन में कथित दहेज में दी गई सामान की सूची प्रदर्श—पी—1 प्रस्तुत की गई है, जिसके संबंध में परिवादी साक्षियों का यह कहना है कि उक्त सूची के अनुसार सामान शादी में आरोपीगण को दिया गया है। उक्त प्रदर्श—पी—1 की सूची को बचावपक्ष के द्वारा कमरून निशा (प0सा0—1) के प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 6 में मुबारिक अली (प0सा0—2), मुनील अली (प0सा0—3), भूरे अली (प0सा0—4) व अनवर अली (प0सा0—5) के प्रतिपरीक्षण में सुझाव के माध्यम से मुख्यरूप से यह चुनौती दी गई है कि उक्त सूची प्रदर्श—पी—1 वो नहीं है जो शादी के समय तैयार हुई थी, बल्कि बाद में फर्जी सूची तैयार की गई। जिसके संबंध में बचाव पक्ष के समर्थन में भूरे अली (प0सा0—4) ने अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 3 में यह स्वीकार किया है कि प्रदर्श—पी—1 की लिस्ट वो नहीं है, जो उसने बनाई
- 23— यह उल्लेख है कि प्रदर्श—पी—1 के सामान की सूची के संबंध में सभी परिवादी साक्षियों के कथन भिन्न भिन्न है। मुबारिक अली (प0सा0—2) जहां मुनीर अली व रफातउल्ला के द्वारा दहेज की लिस्ट बनाया जाना बताता है तथा उसकी एक प्रति पर सगीर के हस्ताक्षर कर उसे दिया जाना बताता हैं। वहीं दूसरी ओर कमरून निशा (प0सा0—1) प्रदर्श—पी—1 की लिस्ट नगरपालिका के शफायत चच्चा के द्वारा बनाया जाना बताती है तथा प्रदर्श—पी—1 पर मुनीर अली व सगीर के हस्ताक्षर होना बताती है,

थी तथा उस पर शरीफ खां के हस्ताक्षर कराये थे।

- 24—मुनीर अली (प0सा0—3) का कहीं यह कहना नही है कि लिस्ट उसने तैयार की थी या उस लिस्ट पर उसके हस्ताक्षर हैं। मुनीर अली (प0सा0—3) का कहना है कि लिस्ट पर रिश्तेदारों के हस्ताक्षर होते तथा बसीर ने उसके सामने लिस्ट पर हस्ताक्षर किये थे। मुनीर अली (प0सा0—3) अपने प्रतिपरीक्षण में यह कहता है कि लडकी के मामू लिस्ट तैयार करते है तथा नसीम के मामू शफायत उल्ला, शमशाद उल्ला व किफायत उल्ला हैं, परन्तु इनमें से किसी के भी हस्ताक्षर लिस्ट पर न होना बताता है। यह साक्षी दहेज की लिस्ट शमशाद के द्वारा बनाई जाना बताता है तथा उस पर शमशाद के द्वारा अपने सामने हस्ताक्षर किया जाना बताता है।
- 25— भूरे अली (प0सा0—4) भी प्रदर्श—पी—1 की लिस्ट के संबंध में यह कहता है कि

लिस्ट मैने बनाई थी, जबिक अन्य किसी भी साक्षी का ऐसा कहना नहीं हैं। यह साक्षी एक ओर यह कहता है कि दहेज की सूची पर लेने और देने वाले के हस्ताक्षर होते हैं तथा सूची पर शरीफ खां ने उसके सामने हस्ताक्षर किये थे, परन्तु यही साक्षी यह कहता है कि प्रदर्श—पी—1 की लिस्ट वो नही है जो उसने बनाई थी। इसी प्रकार अनवर अली (प0सा0—5) दहेज की लिस्ट के संबंध में कहता है कि लिस्ट किसने बनाई थी किसने हस्ताक्षर किये थे, वह नहीं बता सकता है।

- 26—प्रकरण में प्रस्तुत प्रदर्श—पी—1 की लिस्ट पर कमरून निशा (प0सा0—1), मुबारिक अली (प0सा0—2), मुनील अली (प0सा0—3), भूरे अली (प0सा0—4) जिन—जिन व्यक्तियों के द्वारा लिस्ट तैयार कर उनके हस्ताक्षर होने के संबंध में न्यायालय में कथन दे रहे हैं उनमें से किसी भी व्यक्ति के हस्ताक्षर लिस्ट पर नहीं हैं यदि परिवादी पक्ष का यह कहना है कि प्रदर्श—पी—1 की लिस्ट शादी के समय तैयार हुई थी और इसी लिस्ट के अनुसार सामान दहेज में दिया गया, तो यह साबित करने का भार परिवादी पक्ष पर है। परिवादी पक्ष की ओर से लिस्ट पर किसने हस्ताक्षर किये तथा अभियुक्तगण की ओर से सामान प्राप्ति के किसके द्वारा हस्ताक्षर किये गये, इस संबंध में साक्षियों के कथन स्पष्ट नहीं है और न ही यह प्रमाणित किया गया है कि अभियुक्तगण के में से किसी भी के हस्ताक्षर प्रदर्श—पी—1 की लिस्ट पर है जिससे यह प्रमाणित नहीं है कि प्रदर्श—पी—1 की लिस्ट वहीं है जो शादी के समय सामान देने पर तैयार की गई थीं।
- 27—यह उल्लेखनीय है कि भले प्रदर्श—पी—1 की लिस्ट शादी के समय तैयार होना एवं उस लिस्ट के अनुसार सामान अभियुक्त पक्ष को दिया जाना प्रमाणित न होता हो, परन्तु नसीम बानों की शादी में अभियुक्तगण को सूची बना के सामान परिवादी पक्ष के द्वारा दिया गया, इस तथ्य को अभियुक्त पक्ष की ओर से भी नकारा नहीं गया, जिसकी पुष्टि परिवादी पक्ष की ओर से प्रस्तुत प्रदर्श—पी—4 के नोटिस से होती है, उक्त नोटिस अभियुक्त बसीर के द्वारा परिवादी को दिया गया था, यह स्वयं कमरून निशा (प0सा0—1) मुबारिक अली (प0सा0—2) ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है तथा उक्त नोटिस प्रदर्श—पी—4 बसीर के द्वारा दिये जाने के तथ्य को अभियुक्त पक्ष की ओर से भी कोई चुनौती नहीं दी गई।

28—प्रदर्श—पी—4 का नोटिस अभियुक्त बसीर के द्वारा दिनांक 07.12.06 को परिवादी

को दिया जाना विवादित नही है, उक्त नोटिस में ही अभियुक्त बसीर के द्वारा परिवादी से यह अनुरोध किया कि शादी में दिया गया सामान मुताबिक लिस्ट वह शिवपुरी में आकर उनसे से प्राप्त कर ले, जिसको ले जाने का भाड़ा भी अभियुक्त देने के लिये तत्पर्य हैं। अतः नोटिस प्रदर्श—पी—4 से ही स्पष्ट होता है कि परिवादी की लडकी नसीम बानों की शादी में दिये गये सामान की सूची तैयार हुई थी और सूची के अनुसार सामान दिया गया था। उक्त सामान दहेज की मांग के रूप में न देकर शादी में आमतौर पर दिया जाता है। यह स्वयं नसीम बानों के भाई मुबारिक अली (प0सा0—2) ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार है।

- 29—अतः अभिलेख पर आई साक्ष्य से यह स्पष्ट होता है कि नसीम बानों की जब शरीफ खां से शादी हुई थी, तो आम तौर पर शादी विवाह में घरेलू उपयोग के लिये जो सामान दिया जाता है, वो सामान नसीम बानों को भी दिया गया था तथा उक्त सामान अब तक नसीम बानों की ससुराल में है, अब देखा ये जाना है कि वास्तव में उक्त सामान बेइमानी पूर्वक अभियुक्तगण ने दुर्विनियोग किया है या उसको अपने उपयोग में संपरिवर्तित कर लिया है, इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि शादी में जो भी सामान दिया जाता है, वह वर वधू को दिया जाता है, जो उसकी ओर से उसके परिवार के लोग निश्चित रूप से प्राप्त करते हैं, परन्तु ऐसे सामान के संबंध में ससुराल पक्ष के विरुद्ध धारा—406 भादवि का अपराध साबित करने के लिये यह आवश्यक है कि इस संबंध में स्पष्ट साक्ष्य अभिलेख पर हो कि उक्त सामान का उपयोग वधू न करके ससुराल पक्ष के द्वारा बेईमानीपूर्वक तरीके से किया जा रहा है।
- 30— कमरून निशा (प0सा0—1) जो कि नसीम बानों की मां हैं, का अपने न्यायालीन कथनों में कहीं भी यह कहना नही है कि शादी के बाद नसीम को दिये गये सामान का उपयोग ससुराल वालों ने नसीम को नही करने दिया। जबिक नसीम बानों कमरून निशा (प0सा0—1) के अनुसार शादी के बाद 3—4 बार मायके आई थीं। इसी प्रकार मुबारिक अली (प0सा0—2) का अपने कथनों में यह तो कहना है कि बहन की मृत्यु के बाद उसके ससुराल वालें सामान वापस नहीं कर रहे, परन्तु उसका कहीं भी यह कहना नहीं है कि नसीम बानों के जीवित रहते उसके ससुराल वालों ने नसीम बानों को सामान का उपयोग नहीं करने दिया।

31—मुनीर अली (प0सा0—3), भूरे अली (प0सा0—4) व अनवर अली (प0सा0—5) का

भी कही भी कहना नही है कि शादी के बाद ससुराल वालों ने नसीम बानों को शादी के दिये गये सामान का उपयोग नहीं करने दिया, परन्तु इन साक्षियों को यह कहना है कि ससुराल वालें उस सामान का उपयोग कर रहे हैं। यह उल्लेखनीय है कि मुनीर अली (प0सा0—3), भूरे अली (प0सा0—4) व अनवर अली (प0सा0—5) को यह जानकारी कैसे हैं कि ससुराल वालें सामान का उपयोग कर रहे है, यह कहीं भी स्पष्ट नहीं किया।

- 32—मुनीर अली (प0सा0—3) भूरे अली (प0सा0—4) एवं अनवर अली (प0सा0—5) के द्वारा दिये गये उपरोक्त कथनों की सत्यता का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि मुनीर अली (प0सा0—3), अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 3 में यह कहता है कि दहेज का सामान कहा और किस स्थिति में रखा है वह नहीं बता सकता हैं वहीं भूरे अली (प0सा0—4) भी प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 6 में यह कहता है कि सामान किसके पास रखा है उसकी जानकारी नहीं हैं वहीं अनवर अली (प0सा0—5) सामान पर मात्र शरीफ का कब्जा होना बताता है। यह तीनों ही साक्षी मात्र एक—एक बार नसीम के ससुराल जाना बताते हैं, और यदि नसीम की मृत्यु के बाद वह ससुराल गये ही नहीं, तो उनके यह कहने का आधार क्या है कि उसका उपयोग ससुराल वाले कर रहे हैं। अतः इन साक्षियों के कथन उपरोक्त संबंध में कपोत कल्पित प्रतीत होते हैं।
- 33— अभियुक्तगण में से नसीम के पित शरीफ के अलावा उसकी दो बहनें मुजिम्मल व सायरा है, जिसके संबंध में स्वयं कमरून निशा (प0सा0—1) यह स्वीकार करती है कि सायरा की शादी ग्राम बरोदिया में हुई, वहीं मुजिम्मल की शादी चंदेरी में हुई जहां वह निवास करती है। इसी प्रकार मुबारिक अली भी अपने कथनों में इस बात को स्वीकार करता है कि मुजिम्मल की ससुराल चंदेरी में हैं तथा सायरा की ससुराल शिवपुरी में हैं तथा मुबारिक अली (प0सा0—2) अपने प्रतिपरीक्षण में स्वयं यह स्वीकार करता है कि मुजिम्मल और सायरा की शादी उसकी बहन की शादी से पहले ही हो गई थीं।
- 34—यदि मुजम्मिल और सायरा की शादी नसीम बानो की शादी से पहले ही हो गई थी और दोनों की ससुराल शिवपुरी में नहीं है और उनकी शादी अभी बरकरार हैं तो इस बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता है कि यह दोनों ही अभियुक्त अपने मायके इस कारण से रह रही है कि वह नसीम बानों को दिये गये सामान का उपयोग करें। नसीम बानों की मृत्यु के पश्चात् दिनांक—07.12.06 को सामान वापस ले जाने के लिये स्वयं अभियुक्त बसीर खां

ने परिवादी को प्रदर्श—पी—4 का पत्र लिखा था, यह प्रकरण में स्वीकृत तथ्य हैं। कमरून निशा (प0सा0—1) अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 10 में स्वयं यह स्वीकार करती है बसीर ने कभी सामान वापस करने के लिये मना नही किया तथा प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 7 में भी इस साक्षी का यही कहना है कि नसीम के ससुर सामान ले जाने का कह रहे थे।

- 35— मुबारिक अली (प0सा0—2) ने भी यह स्वीकार किया है कि बसीर ने सामान ले जाने के लिये सूचना पत्र भेजा था, परन्तु वह तथा उसका पिता सामान लेने नहीं गये। सामान वापस न लेने का कारण यह नहीं है कि अभियुक्तगण सामान वापस देना नहीं चाहते बल्कि कमरून निशा (प0सा0—1) अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 10 में यह कहती है कि "हम सामान लेने क्यों जाए"। वहीं मुबारिक अली (प0सा0—2) अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका—5 में यह कहता है कि सामान उन्हें चंदेरी आकर देना है।
- 36— अतः अभिलेख पर आई साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि वर्ष 2006 में नसीम बानों की मृत्यु के पश्चात् स्वंय अभियुक्त बसीर के द्वारा समान वापस करने की पहल प्रदर्श—पी—4 का लैटर भेज कर की गई थी तथा उक्त पत्र में सामान भेजने का भाडा भी वहन करना स्वीकार किया गया, परन्तु इसके पश्चात् भी परिवादी पक्ष जानबूझकर सामान लेने के लिये मौके पर नहीं गये। परिवादी पक्ष का कहीं भी यह कहना नहीं है कि वह सामान लेने गये हो और उन्हें अभियुक्तगण ने सामान देने से मना किया हो।
- 37— अतः अभियुक्तगण के पास आज दिनांक तक नसीम बानों को शादी दिये गये सामान का रखा होना उनका सामान को उपयोग करने का बेईमानपूर्ण आशय नहीं हैं बल्कि स्वयं परिवादी पक्ष के द्वारा अभियुक्तगण के निवेदन किये जाने के बाद भी सामान का न लेना है। सामान वर्तमान में किस अवस्था में इसकी जानकारी न तो कमरून निशा (प0सा0—1) को है और न ही अन्य किसी साक्षी को है, जो उन्होंने ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है। अतः ऐसे में बिना किसी आधार के यह कहना कि अभियुक्तगण सामान का उपयोग कर रहे है अपने आप में अभिलेख पर आई साक्ष्य येह साबित नहीं होता है। अभियुक्तगण के पास सामान का मात्र रखा होना, उनका बेईमानपूर्ण आशय साबित करने के लिये पर्याप्त नहीं है जबिक वह स्वयं ही पत्र प्रेषित कर नसीमबानों की मृत्यु के तुरन्त बाद ही सामान देने के लिये तत्पर्य थे। वहीं परिवादी पक्ष अभियुक्तगण से सआशय सामान नहीं लेना चाहता था, यह अभिलेख पर आई साक्ष्य से तो

स्पष्ट होता है कि साथ ही आज दिनांक तक सामान की वसूली के लिये दिवानी प्रकरण संस्थित न करना भी उनके आशय को स्पष्ट करता है।

- 38—धारा 406 भा0द0वि0 के आरोप साबित होने के लिये अभियुक्तगण के अधिपत्य में न्यस्त सामान का होना पर्याप्त नहीं है बल्कि उक्त सामान को अपने अधिपत्य में रखने एवं उसके उपयोग का बेईमानपूर्ण आशय होना आवश्यक हैं। वर्तमान प्रकरण में अभियुक्तगण का नसीम बानों के शादी के सामान को अपने पास रखने व उसको उपयोग करने का बेईमानपूर्ण आशय होना साबित नहीं होता है।
- 39—जहां तक अभियुक्तगण के उपर दहेज प्रतिषेद अधिनियम की धारा—6 के आरोप हैं, तो दहेज प्रतिषेद अधिनियम की धारा 6 का अपराध प्रमाणित करने के लिये सर्वप्रथम तो यह साबित होना आवश्यक है कि वधू को शादी में दिया गया सामान उसके ससुराल पक्ष के द्वारा शादी के बाद 3 माह के भीतर वधू को हस्तातंरित नहीं किया गया एवं उक्त सामान हस्तातंरित होने से पूर्व उसकी मृत्यु हो जाने पर उसके वारिसों को सुपुर्दग न किया जाना, साबित किया जाना आवश्यक है।
- 40— वर्तमान प्रकरण में इस संबंध में अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचन से यह प्रमाणित नहीं होता है कि नसीम बानों की शादी के बाद उसकी मृत्यु होने तक अभियुक्तगण ने या उनमें से किसी ने नसीम बानों कों शादी में मिले सामान नसीम बानों को न देकर स्वयं उसका उपयोग व उपभोग किया और यदि नसीम बानों को शादी के बाद भी शादी के सामान अभियुक्तगण के द्वारा शादी में प्राप्त सामान देकर उसका उपयोग व उपभोग करने दिया और नसीम बानों की मुत्यु के पश्चात् स्वयं अभियुक्तगण ने उक्त सामान को परिवादी को देने का प्रयास किया, परन्तु परिवादी पक्ष के द्वारा स्वयं ही सामान लेने के लिये कोई कार्यवाही नहीं की।
- 41— अतः उपरोक्त आधार पर यह साबित नहीं होता है कि अभियुक्तगण ने परिवादी की पुत्री नसीम बानों की शादी के उपरांत 3 माह तक उसके शादी के दिये गये सामान का उपयोग नहीं करने दिया और न ही यह साबित होता है कि नसीम बानों की मृत्यु के पूर्व उसे शादी में दिया गया सामान प्राप्त नहीं हुआ था। नसीम बानों की मृत्यु के पश्चात् अभियुक्त पक्ष के द्वारा स्वयं ही शादी का सामान वापस करने की पहल की गई थी,जिसे वह स्वेच्छया प्राप्त न करके यह

कहने से विबंधित है कि नसीम बानों की प्राकृतिक कारणों के अलावा मृत्यु होने के पश्चात् भी विहित समयाविध में उसके माता—पिता को उसकी शादी में दहेज के रूप में प्राप्त सामान को वापस नहीं किया।

- 42—फलस्वरूप अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर परिवादी पक्ष यह साबित करने में सफल नहीं हुआ कि अभियुक्तगण ने दिनांक 11.12.04 को परिवादी की पुत्री नसीम बानों के विवाह में दान दहेज एवं स्त्रीधन के रूप में न्यस्त किये गये, सामान का आपराधिक न्यास भंग कर परिवादी की पुत्री नसीम बानों की शादी के पश्चात् प्रत्यक्ष या परोक्षतः रूप से नसीम बानों के माता—पिता से दहेज की मांग की एवं परिवादी की पुत्री नसीम बानों की शादी के उपरांत उसकी प्राकृतिक कारणों के अलावा मृत्यु होने के पश्चात् भी विहित समयाविध में उसके माता—पिता को उसकी शादी में दहेज के रूप में प्राप्त सामान को वापस नहीं किया।
- 43— फलतः अभियुक्तगण शरीफ खां पुत्र बसीर खां, जहीर खां पुत्र बसीर खां, मुजिम्मल पुत्री बसीर खां, अनवरी उर्फ नस्सों पत्नी बसीर खां, बसीर खां, बसीर खां पुत्र नामालूम, सायरा पुत्री बशीर के विरूद्ध भा०द०वि० की धारा 406 एवं दहेज प्रतिषेद अधिनियम की धारा 4 एवं 6 (2) के आरोप प्रमाणित न होने से उन्हें भा०द०वि० की धारा 406 एवं दहेज प्रतिषेद अधिनियम की धारा 4 एवं 6 (2) के तहत् दण्डनीय अपराध के आरोप में दोष मुक्त घोषित किया जाता है।
- 44—अभियुक्तगण के उपस्थिति संबंधी जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं। धारा 428 द0प्र0सं0 का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे। प्रकरण में जुप्तशुदा संपत्ति कुछ नहीं।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(आसिफ अहमद अब्बासी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.) (आसिफ अहमद अब्बासी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)